

## आदेश

कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार सामाप्ति हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के शासनादेश सं० 363/USDMA/792(2020) दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय आदेश संख्या 403/कोविड-19-2020 दिनांक 09 जून, 2020 को अतिक्रमित करते हुए जनपद नैनीताल अन्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

पत्र संख्या 281/ USDMA/792(2020) दिनांक 07 जून, 2020 (संशोधित बिन्दुओं)

- 1- All restaurants, shopping malls, religious places and markets shall be allowed to open in the state between 07 AM and 08 PM. However all such establishments in containment Zones of the state shall remain closed till further orders.
- 2- However the restriction does not apply to instances of loading/unloading of goods ( as part of supply chains and logistics), buses, carrying persons and trucks and goods carriers plying on state and National Highways or persons travelling to their destinations after disembarking from buses, trains and flights.
- 3- All asymptomatic persons going for walk/jog are allowed from 05 AM onwards, provided they comply with norms of safety and social distancing as per guidelines of MoHFW and MHA. However all such activities in containment zones of the state shall remain closed till further orders.

आदेश संख्या 281/ USDMA/792(2020) (बिन्दु संख्या 3.3 के तारा 3- Bullet Point -02 (संशोधित बिन्दु)

- 4- However all asymptomatic persons who are travelling to high load Covid-19 infected cities (for exceptional and compelling reasons such as cases of pregnancy death in family, serious illness or any other personal distress as assessed by the District Nodal Officers in co- ordination with Health Authority) shall on return be exempted from being quarantined .

उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के शासनादेश सं० 363/USDMA/792(2020) दिनांक 29 जून, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये समस्त दिशा-निर्देशों का सर्वसंबंधितों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(एस०एस० जंगपांगी)

अपर जिला मजिस्ट्रेट,

नैनीताल।

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।

पत्रांक 464 / कोविड-19 / 2020

दिनांक 29 जून 2020

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल।
  2. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
  3. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०, प्र०) नैनीताल।
  4. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
  5. नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी।
  6. नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।
  7. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद नैनीताल।
  8. जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल।
  9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, नैनीताल।
  10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद नैनीताल।
  11. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  2. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

  
अपर जिलाधिकारी,  
नैनीताल।



प्रेषक,

मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 29 जून, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

of/covid

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या-281/USDMA-792-(2020) दिनांक 7 जून, 2020 और आदेश संख्या-285/USDMA-792-(2020) (बिन्दु संख्या 3.3 के Para 3-Bullet Point-02) दिनांक 8 जून, 2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित किया जाता है।

पत्र संख्या-281/USDMA-792-(2020) दिनांक 7 जून, 2020 (संशोधित बिन्दुओं)

- All restaurants, shopping malls, religious places and markets shall be allowed to open in the state between 07 AM and 08 PM. However, all such establishments in containment zones of the state shall remain closed, till further orders.
- However, the restriction does not apply to instances of loading/ unloading of goods (as part of the supply chains and logistics), buses carrying persons and trucks and goods carriers plying on State and National Highways or persons travelling to their destinations after disembarking from buses, trains and flights.
- All asymptomatic persons going for walk/ jog are allowed from 05 AM onwards, provided they comply with norms of safety and social distancing as per guidelines of MoHFW and MHA. However, all such activities in containment zones of the state shall remain closed, till further orders.

आदेश संख्या-285/USDMA-792-(2020) (बिन्दु संख्या 3.3 के Para 3-Bullet Point-02) (संशोधित बिन्दु)

- However, all asymptomatic persons who are travelling to high load Covid-19 infected cities (for exceptional and compelling reasons such as cases of

pregnancy, death in family, serious illness or any other personal distress, as assessed by the District Nodal Officers, in co-ordination with Health Authority) shall on return, be exempted from being quarantined.

अतः उक्त संशोधित बिन्दुओं के आधार पर सभी सम्बन्धित उपरोक्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।